# ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176218 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–**

**प्रधानः–**

| क्र॰सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री अमर सिंह | 01.04.2024 से 31.03.2025 |

**सचिव :–**

| क्र॰सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री बृजेश कुमार | 01.04.2024 से 31.03.2025 |

**तकनीकी सहायक :–**

| क्र॰सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री ओंकार दत | 01.04.2024 से 31.03.2025 |

**ग्राम रोजगार सहायक :–**

| क्र॰सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री शशि कुमार | 01.04.2024 से 30.09.2024 |
| 2. | श्री साहिब सिंह | 01.10.2024 से 31.03.2025 |

## (ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

| क्र0 सं0 | पैरा सं॰ | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4(ग) | रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना | 4.81 |
| 2 | 4.2 | निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि रखने बारे | 7.38 |
| 3 | 6 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 95.82 |
| 4 | 7.1 | सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 1.73 |
| 5 | 7.3 | स्वच्छता शुल्क वसूली हेतु शेष पाया जाना | 0.64 |
| 6 | 9.1 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना | 0.45 |
| 7 | 9.2 | खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान | 0.25 |
| 8 | 9.3 | अनुदान 15वें वित्त के अन्तर्गत सामग्री का अनियमित क्रय करना | 5.00 |
| 9 | 9.4 | स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि | 0.19 |
| 10 | 10 | निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे | 6.74 |
| 11 | 11 | असमर्थित समायोजित आय–व्यय प्रविष्टियां करने बारे | 21.13 |
| 12 | 12.1 | मजदूरी भुगतान हेतु मूल्यांकित राशि से अधिक भुगतान करना | 0.03 |
| 13 | 12.2 | सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना | 0.03 |
| 14 | 12.3 | अनुमोदित/न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से अधिक भुगतान करना | 0.02 |
| 15 | 12.4 | पंचायत सदस्य को मस्ट्रोल तथा मीटिंग में दोहरी उपस्थिति हेतु राशि का दोहरा भुगतान करना | 0.02 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/201 दिनांक–29.03.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 4 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 16 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 16 पैरों के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

**(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक**

| क्र0 सं0 | पैरा सं. | निर्णीत/ अनिर्णीत | अनुपालना का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.3 | अनिर्णीत | – |
| 2. | 5.4 | अनिर्णीत | – |
| 3. | 8 | अनिर्णीत | – |
| 4. | 10 | अनिर्णीत | – |
| 5. | 12 | अनिर्णीत | – |
| 6. | 13 | अनिर्णीत | – |

**(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक**

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | निर्णीत/ अनिर्णीत | अनुपालना का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | निर्णीत | अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त |
| 2. | 4 क,ख | स्वतः निर्णीत | वित्तीय स्थिति |
| 3. | 4.1 | निर्णीत | वित्तीय स्थिति व बैंक के अंतशेषो में शून्य अंतर के दृष्टिगत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | 4.2 | अनिर्णीत | — |
| 5. | 5 | अनिर्णीत | — |
| 6 | 6(i) (ii) | अनिर्णीत | — |
| 7 | 7 क,ख,ग | अनिर्णीत | — |
| 8 | 8 | अनिर्णीत | — |
| 9 | 9 | अनिर्णीत | — |
| 10 | 10 | अनिर्णीत | — |
| 11 | 11 | अनिर्णीत | — |
| 12 | 12 | अनिर्णीत | — |
| 13 | 13 | अनिर्णीत | — |
| 14 | 14 | निर्णीत | राशि ₹4842 की वसूली रसीद संख्या 0279504 द्वारा करने उपरांत दिनांक 12.08.24 को खाता संख्या 2338000100050187 में जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है। |
| 15 | 15 | निर्णीत | राशि ₹1949 की वसूली रसीद संख्या 0279628 द्वारा करने उपरांत दिनांक 21.08.23 को खाता संख्या 2338000100050187 में जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है। |
| 16 | 16 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित |
| 17 | 17 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित |

## भाग—दो

## 2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.05.2025 से 21.05.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2024—25 | 03/2025 | 10/2024 |

**अस्वीकरण (Disclaimer) :— वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

**3. अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/336 दिनांक—21. 05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

**4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/315 दिनांकः—14.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

| अवधि | अथशेष | प्राप्ति | योग (कॉलम 2+3) | व्यय | अन्तशेष (कॉलम 4—5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024-25 | 2419542.67 | 156085.00 | 2575627.67 | 857043.79 | 1718583.88 |

2.अनुदानः—

| अवधि | अथशेष | प्राप्ति | योग (कॉलम 2+3) | व्यय | अन्तशेष (कॉलम 4—5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024-25 | 9681285.90 | 7429342.94 | 17110628.84 | 7529058.21 | 9581570.63 |

**कुल योग (1+2)** 1718583.88+9581570.63 **=11300154.51**

## (ख).बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹1,13,00,154.51 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹1,08,18,879.01 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

| | **बैंक खातों की विवरणीः—** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **विवरण** | **बैक** | **खाता** | **अन्त शेष (₹)** |
| 1 | स्वयं सत्रोत | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100050187 | 535930.98 |
| 2 | स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित् | के. सी .सी. बैंक धर्मशाला | 20002132800 | 2333114.50 |
| 3 | वी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.पी/एस .डी.आर.एफ./एम.पी.लेड /सी.आर.एफ | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100071418 | 262127.52 |
| 4 | पी.एम.ए.जी.वाई | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100334247981 | 438129.65 |
| 5 | आई.डब्ल्यू.डी.पी. | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100079614 | 13064.89 |
| 6 | आई.डब्ल्यू.डी.पी. | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100079605 | 11201.89 |
| 7 | आई.ए.वाई | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100072639 | 3960.04 |
| 8 | एल.ए.डी.ए./एल.डी.पी. | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100059164306 | 79128.60 |
| 9 | एस.बी.एम | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100604058517 | 54472 |
| 10 | आर.जी.एस.ए | इंडसइंड बैंक धर्मशाला | 100167490123 | 85746 |
| 11 | एम.एम.ए.जी.वाई | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100083592 | 88085.04 |
| 12 | जलरक्षक मानदेय | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100079508 | 1861 |
| 13 | पशु सहायक | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100074600 | 1545.50 |
| 14 | 14वां वितायोग | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100179427617 | 484040.06 |
| 15 | 15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100371685222 | 5636606.60 |
| 16 | एन.आर.डी.डब्ल्यू.एस.पी | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100487458822 | 51953 |
| 17 | हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्वः स्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार ) | | | 7333 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (एम.एम.ए.जी.वाई की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार ) | 730578.74 |
| बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः— | | ₹10818879.01 |
| **दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :—** | | |
| रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः— | | ₹11300154.51 |
| पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः— | | ₹10818879.01 |
| अन्तरः— | | 481275.50 |

**नोटः—अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।**

**4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.81 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :—**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹4,81,275.50 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा—4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/316 दिनांकः—16.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—490 दिनांकः—21.05.2025 द्वारा आंकडो एवं तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि का अंतर रोकड़ बही में अधिक पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

## (घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ,ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान पाचवां वित के लिये संयुक्त खाता संख्या 20002132800 तथा अनुदान वी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.पी,एस.डी.आर.एफ.,एम.पी.लेड व सी.आर.एफ आदि के लिये भी संयुक्त खाता संख्या 2338000100071418 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/321 दिनांकः–16.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा अवगत करवाया कि, शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## (ङ.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2024–25 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहींः–

| क्र0 सं0 | अनुदान | वाउचर सं/दिनांक | बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक | कार्य का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सभा निधि | 82/28.10. 2024 | 912,913/13,14. 11.2024 | रख–रखाव वाईट वाश पेंटिग इत्यादि पंचायत घर वार्ड | 12253 |
| 2 | सभा निधि | 88/30.10. 2024 | 1012/04.10. 2024 | रख–रखाव वाईट वाश पेंटिग इत्यादि पंचायत घर व अम्बेडकर भवन वार्ड | 8150 |
| 3 | सभा निधि | 93/30.10. 2024 | मस्ट्रोल 4725 | रंग रोवन व रख–रखाव पंचायत घर सोकणी दा कोट | 16430 |
| 4 | एम.पी. लेड | 94/30.10. 2024 | 374013/26.10. 2024 | कम्पलीशन इंटरलाकिंग रास्ता पुली पी.डब्ल्यू.डी रोड से कुलदीप,चुनी लाल के घर का ओर वार्ड 7 | 8540 |
| 5 | वी.के.वी. एन.वाई | 96/30.10. 2024 | 374132/16.12. 2024 | निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक टीटा राम के वार्ड 1 | 6405 |
| 6 | वी.के.वी. एन.वाई | 99/28.10. 2024 | 375193/19.10. 2024 | निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक त्रिलोक चन्द के घर वार्ड 11 | 6405 |
| 7 | एस.डी. आर.एफ | 95/30.10. 2024 | 374013/30.10. 2024 | पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार रोड से नजदीक नरायण दास घर वार्ड 5 | 34160 |
| 8 | एस.डी. आर.एफ | 98/28.10. 2024 | 374099/06.12. 2024 | पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार हिल स्टोप स्टेवलाईजेशन नजदीक छुमा देवी के घर वार्ड 3 | 14945 |
| 9 | एस.डी. आर.एफ | 101/28.10. 2024 | 701/01.07. 2023 | पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक देशराज सुपुत्र रोमी राम घर वार्ड 5 | 25300 |

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में

वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/337 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अवधि 2024–25 की खाता बहियो/लेखा खातो को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 4.2 सभा निधि व एम.एम.ए.जी.वाई अनुदान के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि ₹7.38/–लाख को रखने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/– तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

सभा निधि व एम.एम.ए.जी.वाई अनुदान की प्रस्तुत की गई आनलाईन रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि **₹737911.74** को हस्तगत दर्शाया गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। रोकड़ बही में इतनी अधिक राशि का नकद के रूप में दर्शाया/पाया जाना, दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस राशि को बैंक में जमा न करवाने से इस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी ग्राम पंचायत को वंचित होना पडाः–

| क्र. स. | मद/अनुदान | रो• ब• पृ• | जिस दिनाँक को दर्शाया गया | सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सभा निधि | निल | 01.04.2024 व 31.03.2025 | 7333.00 |
| 2. | एम.एम.ए.जी.वाई | निल | 01.04.2024 व 31.03.2025 | 730578.74 |
| | | | **कुल** | **737911.74** |

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/320 दिनांकः—16.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—490 दिनांकः—21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त शेषो बारे अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरांत व विभाग के उच्चाधिकारियों से चर्चा करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करें यह मामला विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ इस आश्य के साथ लाया जाता है कि इसकी गहनता से जांच पड़ताल करने उपरांत तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि, इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹23,77,006.50 से ₹23,33,114.50 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/337 दिनांकः 21.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—490 दिनांक 21.05.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप—1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

## 6 अनुदान की राशि ₹95.82 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/315 दिनांकः—14.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट—1 व परिशिष्ट—2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31—03—2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹95,81,570.63/— की राशि उपयोग हेतु शेष थीः—

| क्र0सं0 | अनुदान का नाम | दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5वाँ वित्त | 31.03.2025 | 498279.10 |
| 2 | वी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.आर.एफ./एम.पी.लेड | 31.03.2025 | 235583.80 |
| 3 | वी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.पी/एस .डी.आर.एफ./एम.पी.लेड | 31.03.2025 | 141471.42 |
| 4 | एम.पी.लेड | 31.03.2025 | 11389.00 |
| 5 | एस.डी.आर.एफ | 31.03.2025 | 54345.00 |
| 6 | एन.आर.डी.डब्ल्यू.एस.पी | 31.03.2025 | 51953.00 |
| 7 | पी.एम.ए.जी.वाई.एस | 31.03.2025 | 433477.65 |
| 8 | सी.आर.एफ/ एस.डी.आर.एफ | 31.03.2025 | 8397.30 |
| 9 | आई.ए.वाई | 31.03.2025 | 3934.04 |
| 10 | आई.डब्ल्यू.डी.पी. | 31.03.2025 | 24266.78 |
| 11 | एम.एम.ए.जी.वाई | 31.03.2025 | 818080.78 |
| 12 | आर.जी.एस.ए | 31.03.2025 | 85746.00 |
| 13 | एल.डी.पी. | 31.03.2025 | 75137.60 |
| 14 | पी.एम.जी.एस.वाई | 31.03.2025 | 837540.40 |
| 15 | एस.बी.एम | 31.03.2025 | 54472.00 |
| 16 | एम.एम.जी.पी.वाई | 31.03.2025 | 1.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | 13वाँ वित्त | 31.03.2025 | 126849.10 |
| 18 | 14वाँ वित्त | 31.03.2025 | 484040.06 |
| 19 | 15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी | 31.03.2025 | 5636606.60 |
| | | **कुल जोड़** | **9581570.63** |

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग / व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 317 दिनांक–16.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–13.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 7 पंचायत राजस्व से प्राप्त आय

### 7.1 सम्पति कर / गृहकर की ₹1.73 / – की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय / अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 315 दिनांकः–14.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर / गृहकर के रूप में **₹172750** / – की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर / गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि, पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर / गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्ति कर / गृहकर के रूप में

वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/318 दिनांकः–16.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरांत सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा इससे सम्बन्धित मांग व सग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

## 7.2 उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना पंचायत परिसर को किराये पर देने से संभावित राजस्व हानि व सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पँचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को देय व प्राप्त राजस्व का ब्यौरा पंचायत के निधि लेखों मे शुद्ध तथा तत्परता व नियमित रूप से निर्धारित वसूली करना तथा जमा किये/निकाले गए और अपने अधीन सभी स्त्रोतो जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, का लेखा जोखा प्रारूप 10 में मांग व संग्रहण रजिस्टर में तैयार किया जाएगा।

निदेशक एवं विशेष सचिव पचायती राज विभाग हि0प्र0 के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच–एचसी (7)10/80 दिनांक 17.09.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरो को किराये पर देने के लिये निम्न कमेटी गठित की जाएगीः–

1.उपमण्डलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)

2.खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)

3.प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)

4.पंचायत निरीक्षक (सदस्य)

5.पंचायत सचिव / पंचायत सहायक (सदस्य–सचिव)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबन्ध करेगी जिसमें ग्राम पंचायत निम्न शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगीः–

1.सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरो / भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम न हो।

2.किराये में वृद्धि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप हो।

3.यदि किरायेदार किराया नहीं देता है, या परिसर को नुकसान पहुँचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाए।

4.किरायेदार को परिसर को आगे किसी व्यक्ति को किराये पर देने का अधिकार न हो और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करेगा।

5.किरायेदार परिसर में किसी प्रकार निर्माण / परिवर्तन / अतिक्रमण नहीं करेगा।

6.सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरो / भवनो को किराये पर देने से पूर्व में पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा व्यावसायिक परिसरो / भवनो को किराये पर खुली बोली से दिया जाएगा।

7.व्यावसायिक परिसरो / भवनो के पानी / बिजली के बिलो की अदायगी किरायेदार द्वारा की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत के व्यावसायिक परिसरों / भवनों को किराये पर देने सम्बन्धी जारी उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा / अ0वृ0कां / 2025 / 315 दिनांकः–14.05.2025 के प्रत्युत्तर में, पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 490 दिनाँक 21.05.2025 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पंचायत के सभा क्षेत्र में दो सामुदायिक भवनों को किराये पर देने से सम्बन्धित कमेटी का गठन नहीं किया गया व किराये पर देने से पूर्व अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 327 दिनांकः– 19.05.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 490 दिनाँक 21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, इस सम्बन्ध में वर्तमान समय से नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है पंचायत हितों को सुरक्षित करने के लिये समय–समय पर जारी आदेशो–निर्देशों अनुसार अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ उपरोक्त निर्देशों व नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये व कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

**7.3 स्वच्छता शुल्क ₹0.64 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना व सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–**

हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 के उपनियम (3)(ii) के अनुसार पंचायत की गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था ,साफ–सफाई,**स्वच्छाता ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन** ,वाहनो की पार्किंग के लिये प्रस्ताव के तहत सभा क्षेत्र में सेवा शुल्क उदगृहित करने का अधिकार है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/315 दिनांकः–14.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट ''9''** पर संलग्न सूचना के अनुसार स्वच्छता शुल्क के रूप में ₹64470/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22.09.2022 के तहत निर्णय लिया गया था कि, प्रत्येक यूनिट(घर,होटल,ढाबा,दुकानो)से ₹50/500/1000/100 प्रति मास ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता शुल्क की वसूली की जाएगी,जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से वसूली करवाई गई। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख, यूनिटों की संख्या श्रेणी बार ,मांग व बकाया इत्यादि का ब्यौरा/रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट ''9''** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष राशि, अथशेष, यूनिटो की संख्या, अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/326 दिनांकः–19.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त स्वच्छता शुल्क की बकाया राशि की वसूली करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष के खाते में जमा करवा दिया जाएगा तथा इससे सम्बन्धित ब्यौरा, यूनिटों की संख्या, दर, मांग व संग्रहण रजिस्टर तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर तैयार करके व समस्त आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव रखना सुनिश्चित करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 8.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.02/- लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 315 दिनांकः–15.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 13 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹1600 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 322 दिनांकः–16.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि ,बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को प्राप्त करने उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 8.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02 / –लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार

राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/315 दिनांकः–14.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹2000/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु इसे राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय की दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/322 दिनांकः–16.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत सूचित किया गया कि ,प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण की राशि ₹2000 को सभा निधि में जमा करवाया गया, जिसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.45 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹44874/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के

कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/331 दिनांकः–20.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.25/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹25100/– का अनियमित

भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/332 दिनांक:–20.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–490 दिनांक:–21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि ,उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 9.3 अनुदान 15वें वित के अंतर्गत राशि ₹5.0/–लाख की सामग्री का अनियमित क्रय करने बारे:–

ग्राम पंचायत द्वारा दो पार्क, डेवलपमेंट पार्क इन विलेज वार्ड 5 तथा डेवलपमेंट/रिपेयर पार्क सोकणी दा कोर्ट वार्ड 7 में खेलकूद व व्यायाम सम्बन्धी सामग्री स्थापित करने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि **₹** 500000 का भुगतान किया गया। व्यय वाउचरो का अवलोकन करने पर निम्नलिखित आपतियां पाई गई है:–

**1**. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप–समिति गठित की जानी थी, जिसमें कि प्रधान, उप प्रधान, दो वार्ड सदस्य जो ग्राम पंचायत द्वारा नामित किये गये हो व सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, जिसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

2. उक्त क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक की दर संविदा (Rate Contract) अथवा Gem Portel से किया जाना वांछित था तथा यदि उक्त सामग्री हि0 प्र0 सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्ति उपरांत उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित

करके किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी।

3. क्रय की गई सामग्री को स्थायी परिसम्पति स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया था।

4. उक्त कार्यों की सम्बन्धित माप–पुस्तिका को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

| क्र.सं.व अनुदान | वाचर स. /दिनांक | फर्म का नाम | बिल सं. /दिनांक | सामग्री | मात्रा | दर (₹) | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15TH FC (Dev. Park in villages Ward 5) | 108/ 14.10.2024 | M/s Shiva Traders Tatwani Shahpur | 663/ 25.10.2024 | Marry go round,Air walker,Double Cross Trainer,Arm wheel double,Chest Press double,Puss up bar,Leg press double | - | - | 200000 |
| | Nil/29.10.2024 | M/s Shiva Traders Tatwani Shahpur | 664/ 25.10.2024 | JCB per hour | 20 | 1000 | 20000 |
| | | | | Foundation with plat form CC work(m3) | 34.80 | 2300 | 80040 |
| 2.15TH FC (Dev./Repair Park in Soukni da kot Ward 7) | 105/ 28.10.2024 | M/s Shiva Traders Tatwani Shahpur | 662/12.10.2024 | Marry go round,Sea saw four seater,Double Cross Trainer,Arm wheel double,Chest Press double,Slider Iron 12 feet,Bridge Ladder | - | - | 200000 |
| | | | | **Total** | | | **500040** |

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति पूर्ण तथ्यो सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/329 दिनांकः–20.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अन्य सम्बन्धित वांछित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा इतनी अधिक राशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं था। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**9.4 स्त्रोत पर जी.एस.टी/टी.डी.एस. की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.19/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-**

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट-(278/25)-29056, दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा सविदाकर/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवाओं और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹ 2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

नमूना अंकेक्षण व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना **"परिशिष्ट -8 "** अनुसार पाया गया कि, 15 वा वित् शीर्ष के अंतर्गत विभिन विकास कार्यों के लिये निम्न विवरणानुसार खेलकूद व व्यायाम सामग्री तथा वाटर डिसपेंसर व वाटरकूलर के रूप में सामग्री प्राप्ति की गई थी, किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ताओं से स्त्रोत पर कर राशि **₹18800/-** की कटौती (टीडीएस) नहीं की गई थी:-

| क्रम स० | वा०/दिनांक | कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम | परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹) | स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | परिशिष्ट अनुसार (क्रम स०1 व2 ) | मै०शिवा ट्रेडर्स ततवानी शाहपुर | 500040 or say 500000 | 10000 |
| 2. | परिशिष्ट अनुसार (क्रम स०3 व 7) | मै हिमाचल टरेडर्स ढडमब शाहपुर | 440000 | 8800 |
| | | **कुल** | **940000** | **18800** |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/330 दिनांकः–20.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट को तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि पर टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई

है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार जी.एस.टी / टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹6.74/–लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 10/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹6,74,224/–**का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

| क्र0सं0 व अनुदान | वाउचर सं/ दिनांक | बिल संख्या/ दिनांक | कार्य का नाम | भुगतान राशि (₹) | वांछित अभिलेख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.सभा निधि | 82/28.10. 2024 | 912,913/13,14. 11.2024 | रख–रखाव वाईट वाश पेंटिग इत्यादि पंचायत घर वार्ड | 12253 | माप–पुस्तिका, प्रारूप 34 |
| 2.सभा निधि | 88/30.10. 2024 | 1012/04.10. 2024 | रख–रखाव वाईट वाश पेंटिग इत्यादि पंचायत घर व अम्बेडकर भवन वार्ड | 8150 | माप–पुस्तिका, प्रारूप 34 |
| 3.सभा निधि | 93/30.10. 2024 | मस्ट्रोल 4725 | रंग रोवन व रख–रखाव पंचायत घर सोकणी दा कोट | 16430 | माप–पुस्तिका, प्रारूप 34 |
| 4.एम.पी. लेड | 94/30.10. 2024 | 374013/26.10. 2024 | कम्पलीशन इंटरलाकिंग रास्ता पुली पी.डब्ल्यू.डी रोड से कुलदीप,चुनी लाल के | 8540 | प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र,माप– पुस्तिका, प्रारूप 34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | घर का ओर वार्ड 7 | | |
| 5.वी.के.वी. एन.वाई | 96 / 30.10. 2024 | 374132 / 16.12. 2024 | निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक टीटा राम के वार्ड 1 | 6405 | प्रस्ताव,प्राक्कलन, स्वीकृति पत्र,माप–पुस्तिका, प्रारूप 34 |
| 6.वी.के.वी. एन.वाई | 99 / 28.10. 2024 | 375193 / 19.10. 2024 | निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक त्रिलोक चन्द के घर वार्ड 11 | 6405 | प्रस्ताव, प्राक्कलन, स्वीकृति पत्र, प्रारूप 34 |
| 7.वी.के.वी. एन.वाई | 100 / 28. 10.2024 | 374133 / 16.12. 2024 | निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक कृष्ण, जतिन्दर इत्यादि घर वार्ड 10 | 6705 | प्रस्ताव, प्राक्कलन,स्वीकृति पत्र, प्रारूप 34 |
| 8.एस.डी. आर.एफ | 95 / 30.10. 2024 | 374013 / 30.10. 2024 | पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार रोड से नजदीक नरायण दास घर वार्ड 5 | 34160 | प्रस्ताव, प्रारूप 34 |
| 9.एस.डी. आर.एफ | 98 / 28.10. 2024 | 374099 / 06.12. 2024 | पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार हिल स्टोप स्टेवलाईजेशन नजदीक छुगा देवी के घर वार्ड 3 | 14945 | प्रस्ताव,प्राक्कलन, स्वीकृति पत्र, माप–पुस्तिका, प्रारूप 34 |
| 10.एस.डी. आर.एफ | 101 / 28.10.2024 | 701 / 01.07. 2023 | पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक देशराज स्पुत्र रोमी राम घर वार्ड 5 | 25300 | प्रस्ताव,प्राक्कलन, प्रारूप 34 |
| 11.14वां वित | 78 / 28.10.2024 | मस्ट्रोल 4722 | पुर्न निर्माण रास्ता सुरेश के घर से राधा देवी के घर की ओर वार्ड 11 | 24080 | प्रस्ताव, प्राक्कलन, माप– पुस्तिका, प्रारूप 34 |
| 12.15वां वित | 89 / 28.10.2024 | मस्ट्रोल 4718 | निर्माण रास्ता नजदीक धर्म चन्द के घर वार्ड 04 | 33150 | प्रस्ताव,प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति प्रारूप 34 |
| 13.मनरेगा | निल / 03, 21.10.2024 | मस्ट्रोल 2828,2869,192 / 25.07.2024 | निर्माण पुली व रास्ता आशा देवी के घर के पास वार्ड 4 | 37701 | माप– पुस्तिका |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.15वां वित्त | 106 / 28.10.2024 | 1390,1391 / 14.10.2024 | स्थापन्न वाटर डिसपेंसर हॉट व कोल्ड, केविन के साथ, वाटर डिसपेंसर बोटल,सभी जी.पी.एस में | 165000 | प्राक्कलन, माप–पुस्तिका |
| 15.15वां वित्त | 107 / 28.10.2024 | 1386,1388,1389 / 20.10.2024 | स्थापन्न वाटर कुलर सभी आंगनबाडी में ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट | 275000 | प्राक्कलन, माप–पुस्तिका |
| | | | **कुल योग** | **674224** | |

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 328 दिनांकः–20.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 490 दिनांक 21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, माप–पुस्तिकाओं व अन्य वांछित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 11 राशि ₹21.13 / –लाख की अनुचित / असमर्थित / समायोजित (Adjustment voucher) आय–व्यय प्रविष्टियां करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत की स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि **₹2112985.10 / –**की समायोजित प्रविष्टियां **(Adjustment voucher)** आय–व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी,जिसके समर्थन में कोई बिल / वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही यह प्रविष्टियां सम्बन्धित शीर्ष की बैंक पासबुक में पाई गई,जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता की ओर संकेत करती है :–

| क्र0 सं0 | अनुदान | वाउचर सं/दिनांक | आय/व्यय | विवरण | रोकड़ बही पृष्ठ संख्या | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सी.आर. एफ | आर/01/31.07. 2024 | आय | Balance Adjustment | निल | 55804 |
| 2 | सी.आर. एफ | पी/01/15.07. 2024 | व्यय | Adjustment to wrong entered vr amt. | निल | 59020 |
| 3 | 5वां वित | आर/26/31.03. 2025 | आय | Balance Adjustment | निल | 126849.10 |
| 4 | एस.डी.पी | आर/2/31.07. 2024 | आय | Int. for June 2024 | निल | 3216 |
| 5 | आर.जी. एस.ए | पी/3/15.07. 2024 | व्यय | Wrong, Adjustment | निल | 147205 |
| 6 | आर.जी. एस.ए | आर/2/15.07. 2024 | व्यय | To adjustment wrong vr entered | निल | 2945 |
| 7 | 14वां वित | पी/10/15.07. 2024 | व्यय | adjustment to wrong entered receipt vr | निल | 59020 |
| 8 | 14वां वित | आर/03/30.08. 2024 | आय | Amt. received | निल | 59020 |
| 9 | एस.बी.एम | पी/10/31.03. 2025 | व्यय | Sbm Balance adjust | निल | 141383 |
| 10 | 15वां वित | आर/03/31.07. 2024 | आय | Interest | निल | 486524 |
| 11. | 15वां वित | पी/41/31.10. 2024 | व्यय | Balance Adjustment | निल | 343660 |
| 12 | 15वां वित | पी/42/30.11. 2024 | व्यय | Adjustment | निल | 288660 |
| 13 | 15वां वित | आर/14/31.01. 2025 | आय | Balance Adjustment | निल | 339679 |
| | | | | | **कुल योग** | **2112985.10** |

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/319 दिनांकः–16.05.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की समायोजित प्रविष्टियां की गई है, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत व विभाग के उच्चाधिकारियों से चर्चा करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियम प्रावधानों के अनुकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की सत्यापना एवं कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 12.1 15वें वित अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये मजदूरी भुगतान हेतु मूल्यांकित राशि से ₹0.03/–लाख का अधिक भुगतान करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

नमूना अंकेक्षण के दौरान, वाउचर संख्या 92 दिनांक 28.10.2024 के अंकेक्षण, निर्माण कार्य ब्यूटीफिकेशन बाबड़ी वार्ड 6 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 0200 के पृष्ठ संख्या 78 व 79 में करवाये गये निर्माण कार्य के लिये, मजदूरी भुगतान करने हेतु, वास्तविक मूल्याकिंत राशि से निम्नविवरणानुसार **₹3347** का अधिक भुगतान किया गया था:–

| वास्तविक मूल्यांकित राशि/अपेक्षित भुगतान (₹) | मस्ट्रोल सख्यां | भुगतान की गई राशि (₹) | अधिक भुगतान की गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| Total of all items after deduction of CF =13058.46 and labour enhancement i.e(1 to 5) | 4716 | 16405 | 3347 |

उक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/334 दिनांकः– 20. 052025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा नियम 101(1)(सी) के अनुसार ही भुगतान

करना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 12.2 एस.डी.आर.एफ के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.03/–लाख का अधिक भुगतान करना :–

हि॰प्र॰ पँचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पुर्न निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक देश राज स्पुत्र रोमी राम घर वार्ड–5 की रिकार्ड प्रविष्टियों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 0200 के पृष्ठ संख्या 88,89 व 90 में निर्माण सामग्री, वोल्डर का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 701 दिनांक 01.07.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री वोल्डर 460 cft का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹3250/–** की सामग्री हेतु अधिक भुगतान किया गया था अथवा प्रश्नात्मक राशि से सम्बन्धित सामग्री का दुरूपयोग/दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है:–

| अनुदान | वाउचर सं0/दिनांक | सामग्री | क्रय की गई मात्रा | उपयोग हुई सामग्री की मात्रा | अंतर | दर (₹) | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. एसडीआर एफ | 101/28.10. 2024 | वोल्डर | 460 cft | 330cft | 130 | 25 | 3250 |

**<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–</u>**

Item-5 Dry RR masonry of retaing wall-8.05m3X1.16(Boulder Factor)=9.34m3 or say **330cft**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/338 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिका में निष्पादित मात्रा कम पाई गई, परन्तु इस कार्य के लिये अधिक मात्रा जारी की गई। परिणामस्वरूप उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि माप–पुस्तिकाओं में तकनीकी उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरांत ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 12.3 अनुमोदित/न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.02/– लाख का अधिक भुगतान करना:–

हि•प्र• पँचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा सभा क्षेत्र में वाटर कूलर स्थापित करनें हेतू, वाटर कूलर को अनुमोदित/न्यूनतम निविदा द्वारा क्रय न करके, अधिक दर से निम्न विवरणानुसार राशि ₹2200/– का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है एवं आपतिजनक भी है:–

| अनुदान | वाउचर सं0/ दिनांक/ बिल सं0 | आपूर्तिकर्ता | सामान का विवरण | न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान (₹) | किया गया भुगतान (₹) | अधिक भुगतान (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15वां वित | 107/28.10. 2024/1386 | मै हिमाचल ट्रैडर्स ढडमब शाहपुर | Water cooler USHA 20X40 Ltr,Stucture,Tanki,Plumbing,Electricity fitting etc. | 107600 (2no@53800) | 108700 (2no@54350) | 1100 |
| 2.15वां वित | 107/28.10. 2024/1388 | मै हिमाचल ट्रैडर्स ढडमब शाहपुर | Water cooler USHA 20X40 Ltr,Stucture,Tanki,Plumbing,Electricity fitting etc. | 107600 (2no@53800) | 108700 (2no@54350) | 1100 |
| | | | | | कुल योग | 2200 |

इस वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को उपरोक्त नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/335 दिनांकः– 21.05.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि अनुमोदित/न्यूनतम निविदा दर से अधिक दर द्वारा भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे उपरोक्त नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पृनरावृति न हो सुनिश्चित करके व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 12.4 पंचायत सदस्य को मस्ट्रोल तथा मीटिंग में दोहरी उपस्थिति हेतु राशि ₹0.02 लाख का दोहरा भुगतान करने बारे :–

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धनराशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है|

चयनित माह 10/2024 के मनरेगा व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत सदस्य को निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान किया गयाः–

| क्र0सं0 | पंचायत सदस्य | मीटिंग/मस्ट्रोल दिनांक जिसका भुगतान किया गया | मस्ट्रोल संख्या | वसूली योग्य राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सपना महाजन | 23.09.2024 | 2824 | 750 |
| 2. | सपना महाजन | 14.10.2024 | 2964 | 750 |
| | | | कुल | 1500 |

इस वितीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/337 दिनांकः– 21.05.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05. 2025 द्वारा आंकड़ो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि दिनांक 23.09.2024 व

14.10.2024 का पंचायत बैठक व मस्ट्रोल का दोहरा भुगतान किया गया, जिसकी राशि ₹1500 की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो सुनिश्चित करके निर्देशानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 12.5 राशि ₹0.008 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे:-

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 10/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार संभा निधि की रोकड़ बही में राशि **₹800/-**का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:-

| **क्र0सं0** | **अनुदान/ मद** | **वाउचर सं/ दिनांक/बिल सं0** | **कार्य का नाम/ विवरण** | **रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां** | **राशि ₹** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सभा निधि | पी.26/31.10. 2024/निल | कार्यालय व्यय | निल | 800 |

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/337 दिनांक:-21.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:-490 दिनांक:-21.05. 2025 द्वारा आंकडो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की अधिक अदायगी की गई थी, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती

की पुनरावृति न हो सुनिश्चित करके व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

### 13. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹19.12/— लाख का अनियमित भुगतान करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 10/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹19,12,363.24/— का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/337 दिनांक:—21.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—490 दिनांक:—21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि संयुक्त हस्ताक्षरों से सम्बन्धित अनियमितता की वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

### 14 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्टर रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोलों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:—

1. निम्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया, जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:—

| क्र•स• | अनुदान | वाउचर सं0/ दिनांक | मस्ट्रोल क्रमांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सभा निधि | 93/30.10.2024 | 4725 | 16430 |
| 2 | 14वां वित | 104/28.10.2024 | 4712 | 24080 |
| 3 | 15वां वित | 89/28.10.2024 | 4718 | 33150 |
| 4 | 15वां वित | 92/28.10.2024 | 4716 | 16405 |
| 5 | 15वां वित | 91/28.10.2024 | 4720 | 20635 |

2.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

3.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/333 दिनांकः—20.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—490 दिनांक 21.05.2025 द्वारा स्पष्ट करवाया कि मस्ट्रोल के भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं हेतु भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

## 15. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियाः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "6, 7 व 8"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के

सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

5. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/337 दिनांकः– 21.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए निर्माण कार्य के प्रपत्र 34 सी को भी तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 16 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/315 दिनांकः 14.05.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—490 दिनांकः—21.05.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

**1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख**

| क्र0सं0 | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 01 | 12 |
| 2. | वर्गीकृत सार | 8 | 29(4) |
| 3. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 |
| 4. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | —— | 7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी |
| 5 | मांग व प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77 (4) |
| 6 | वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है। | 11 | 37 |
| 7 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 8 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) ए बी |
| 9 | लेखन सामग्री रजिस्टर | 28 | 72 (1)डी |
| 10 | निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर | 31 | 95(1) |
| 11 | पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले | ....... | ........... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मानदेय/वेतन का रजिस्टर | | |
| 12 | बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर | ........ | ............ |

**2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख**

| क्र0 | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | विकास कार्यों का निष्पादन रजि0 | 07 | 34 |
| 2 | अनुदान रजिस्टर | 8 | 34 |

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/315 दिनांकः–14.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–490 दिनांकः–21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–**

**18.1 खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को वापिस की गई धन राशि ₹8.89/- लाख की प्राप्त रसीदे/फण्ड हस्तांतरण आदेश प्रस्तुत न करने बारेः–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के अनुसार पंचायत निधि/कोष से कृत प्रत्येक भुगतान को पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण वाले वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ,ग्राम पंचयात द्वारा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त अनुदान राशि **₹889389.70/-** निम्नानुसार वापिस लौटाई गई, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से इस राशि की प्राप्त रसीदे/ जारी फण्ड हस्तांतरण आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे उक्त विशेष कार्यालय को हस्तांतरित राशि की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक भी है:—

| **वाउचर संख्या/दिनांक** | **रो०ब०पृ०** | **अनुदान का नाम** | **राशि (₹)** |
|---|---|---|---|
| पी/38/27.02.2025 | निल | SBM | 714389.70 |
| पी/1/15.07.2024 | निल | SDRF | 175000.00 |
| | | **योग** | **₹889389.70/-** |

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/337 दिनांकः—21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—490 दिनांकः—21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी धर्मशाला को हस्तांतरित की गई, जिसकी पावती वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे उक्त कार्यालय से प्राप्त करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अत उक्त किये गए हस्तांतरण बारे सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 18.2 लॉग बुक की छाया प्रति प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 10/2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य डेवलपमेंट पार्क इन विलेज वार्ड 5 करवाने हेतु ,प्रयोग की गई जे.सी.बी मशीन के भुगतान करने हेतु, निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹20,000/—**का भुगतान

किया गया था, परन्तु जे.सी.बी मशीन द्वारा किये गए कार्य से सम्बन्धित लॉग बुक की छाया प्रति को सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त मशीन द्वारा जितने घंटे कार्य किया गया उसकी पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी:—

| **अनुदान** | **वाउचर सं0 / दिनांक / बिल सं0** | **आपूर्तिकर्ता** | **सामग्री** | **मात्रा** | **दर (₹)** | **राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15वां वित | निल / 29.10. 2024 / 664 | मै0 शिवा टेडर्स ततवानी शाहपुर | जे.सी.बी | 20 घंटे | 1000 | 20000 |

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:—राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 337 दिनांक:—21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—490 दिनांक:—21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, सम्बन्धित लॉग बुक को वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे प्राप्त करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अत उक्त किये गए भुगतान बारे सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखो सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

**18.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:—**

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, मास 10 / 2024 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**19 लघु आपति विवरणिका:—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

**20** **निष्कर्ष**:– लेखों के रख–रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

4754–4758 22 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच.)(xv)(2)87/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

**पंजीकृत** 5 सचिव, ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

## ANNEXURE -1(पैरा संख्या-4.1(क)

**FINANCIAL POSITION OF GP SOUNKNI DA KOT BLOCK DHARAMSHALA,DISTT KANGRA(HP)-176218 FOR THE YEAR 2024-25**

**1 OWN SOURCES**

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2419542.67 | 156085.00 | 2575627.67 | 857043.79 | 1718583.88 |

**2 GRANTS-IN-AID**

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 9681285.90 | 7429342.94 | 17110628.84 | 7529058.21 | 9581570.63 |

Note :- It is certified that the Opening Balance of Sabha NIshi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सौकनीदा कोट
वि०ख० कांगड़ा कांगड़ा हि०प्र०

## ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6")

### FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SOUNKNI DA KOT FOR THE YEAR 2024-25

| SR.NO | PARTICULARS | YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING THE YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5THSFC | 2024-25 | 415322 | 605832.10 | 1021154.10 | 522875.00 | 498279.10 |
| 2 | VKVNY/SDRF/ MPLAD | 2024-25 | 51963.80 | 300000.00 | 351963.80 | 116380.00 | 235583.80 |
| 3 | SDP/SDRF/MPLAD/ VKVNY | 2024-25 | 196236.39 | 229197.00 | 425433.39 | 283961.97 | 141471.42 |
| 4 | MPLADS | 2024-25 | 70409.00 | 0.00 | 70409.00 | 59020.00 | 11389.00 |
| 5 | SDRF | 2024-25 | 175000.00 | 175000.00 | 350000.00 | 295655.00 | 54345.00 |
| 6 | NRDWSP | 2024-25 | 50423.00 | 1530.00 | 51953.00 | 0.00 | 51953.00 |
| 7 | PMAGYS | 2024-25 | 553795.65 | 4072.00 | 557867.65 | 124390.00 | 433477.65 |
| 8 | CRF/SDRF | 2024-25 | 186268.30 | 58149.00 | 244417.30 | 236020.00 | 8397.30 |
| 9 | IAY | 2024-25 | 3856.04 | 78.00 | 3934.04 | 0.00 | 3934.04 |
| 10 | IWDP | 2024-25 | 24111.18 | 495.00 | 24606.18 | 339.40 | 24266.78 |
| 11 | MMAGY | 2024-25 | 816324.78 | 1758.00 | 818082.78 | 2.00 | 818080.78 |
| 12 | RGSA | 2024-25 | 263918.00 | 26935.00 | 290853.00 | 205107.00 | 85746.00 |
| 13 | LDP | 2024-25 | 74564.60 | 573.00 | 75137.60 | 0.00 | 75137.60 |
| 14 | PMGSY | 2024-25 | 837540.40 | 0.00 | 837540.40 | 0.00 | 837540.40 |
| 15 | SBM | 2024-25 | 166619.00 | 172836.00 | 339455.00 | 284983.00 | 54472.00 |
| 16 | MMGPY | 2024-25 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 17 | 13TH FC | 2024-25 | 126849.10 | 0.00 | 126849.10 | 0.00 | 126849.10 |
| 18 | 14TH FC | 2024-25 | 1108141.06 | 150959.00 | 1259100.06 | 775060.00 | 484040.06 |
| 19 | 15TH FC | 2024-25 | 4559942.60 | 3695862.00 | 8255804.60 | 2619198.00 | 5636606.60 |
| 20 | MNREGA | 2024-25 | 0 | 2006066.84 | 2006066.84 | 2006066.84 | 0.00 |
| Total:- | | | 9681285.90 | 7429342.94 | 17110628.84 | 7529058.21 | 9581570.63 |

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

प्रधान

सचिव

ग्राम पंचायत सौकनीदा कोट

वि०ख० कांगड़ा कांगड़ा हि०प्र०

41

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

## कार्यालय ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176218

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

| क्र. सं. | अनुदान | बैंक | खाता सं. | बैंक शेष 01-04-2024 को | बैंक शेष 31- 03 -2025 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | स्वयं सत्रोत | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100050187 | 1236889.77 | 535930.98 |
| 02 | स्वयं सत्रोत/ पांचवां वित् | के. सी .सी. बैंक धर्मशाला | 20002132800 | 2377006.50 | 2333114.50 |
| 03 | वी.के.वी.एन.वाई/ एस.डी.पी/एस .डी.आर.एफ./एम.पी.लेड /सी.आर.एफ | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100071418 | 479468.49 | 262127.52 |
| 04 | पी.एम.ए.जी.वाई | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100334247981 | 545955.65 | 438129.65 |
| 05 | आई.डब्ल्यू.डी.पी. | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100079614 | 12717.89 | 13064.89 |
| 06 | आई.डब्ल्यू.डी.पी. | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100079605 | 10904.89 | 11201.89 |
| 07 | आई.ए.वाई | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100072639 | 3856.04 | 3960.04 |
| 08 | एल.ए.डी.ए./एल.डी.पी. | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100059164306 | 77371.60 | 79128.60 |
| 09 | एस.बी.एम गारवेज | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100604058517 | 25236 | 54472 |
| 10 | आर.जी.एस.ए | इंडसइंड बैंक धर्मशाला | 100167490123 | 119650 | 85746 |
| 11 | एम.एम.ए.जी.वाई | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100083592 | 85746.04 | 88085.04 |
| 12 | जलरक्षक मानदेय | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100079508 | 1813 | 1861 |
| 13 | पशु सहायक | पी.एन.बैंक खन्यारा | 2338000100074600 | 1505.50 | 1545.50 |
| 14 | 14वां वितायोग | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100179427617 | 1108141.06 | 484040.06 |
| 15 | 15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100371685222 | 4633160.60 | 5636606.60 |
| 16 | एन.आर.डी.डब्ल्यू.एस.पी | एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला | 50100487458822 | 50799 | 51953 |
| 17 | हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार ) | | | 7333 | 7333 |
| 18 | हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (एम.एम.ए.जी.वाई की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार ) | | | 730578.74 | 730578.74 |
| | | | कुल योग | 11508133.77 | 10818879.01 |

42

प्रधान सचिव

ग्राम पचायत सोकनीदा कोट

वि०ख० कांगड़ा कांगड़ा हि०प्र०

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7.1")

# कार्यालय ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176218

**दिनांक 31-03-2025** को ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 946 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

| वितीय वर्ष | अथशेष | परिवार की संख्या | गृह कर/प्रतिवर्ष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतू शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 125450 | 946 | 50 | 47300 | 172750 | 00 | 172750 |

Amar Sin

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत सोकनीदा कोट

वि०ख० कांगड़ा कांगड़ा हि०प्र०

43

परिशिष्ट -05(पैरा संख्या "8.1,8.2")

## ग्राम पंचायत सोकनी दा कोट, विकास खण्ड धर्मशाला द्वारा प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क व दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष

| क्र० सं० | नाम | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | रशीद संख्या | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | कम वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजय कुमार सुपुत्र केवल सिंह | 22/4/2024 | 24/4/2024 | 0279685 | 200 | 200 | 0 |
| 2 | गौरव कुमार सुपुत्र जगमोहन गुप्ता | 12/4/2024 | 7/5/2024 | | 200 | 0 | 200 |
| 3 | सचिन कुमार सुपुत्र जगदीश चंद | 17/10/2024 | 4/12/2024 | | 400 | 0 | 400 |
| 4 | दिनेश कुमार सुपुत्र सुभाष चंद | 23/11/2024 | 19/12/2024 | | 200 | 0 | 200 |
| 5 | साहिल सुपुत्र श्याम सिंह | 3/11/2024 | 19/12/2024 | | 400 | 0 | 400 |
| 6 | बबलू सुपुत्र जयपाल | 3/11/2024 | 26/12/2024 | | 400 | 0 | 400 |
| 7 | प्रतीक शर्मा सुपुत्र गोपाल कृष्ण | 7/12/2024 | 30/12/2024 | 0279541 | 400 | 400 | 0 |
| 8 | अभिषेक सुपुत्र प्रकाश | 7/12/2024 | 22/1/2025 | 0279543 | 400 | 400 | 0 |
| 9 | अभिषेक सुपुत्र जुधो राम | 16/1/2025 | 11/2/2025 | 0279559 | 200 | 200 | 0 |
| 10 | अंकुश गखड सुपुत्र पृथ्वी राज | 18/1/2025 | 11/2/2025 | 0279537 | 200 | 200 | 0 |
| 11 | रजत स्रोत्री सुपुत्र विपन स्रोत्री | 14/2/2025 | 4/3/2025 | 0279533 | 200 | 200 | 0 |
| 12 | धीरज कुमार सुपुत्र ईश्वर दास | 14/2/2025 | 2/3/2025 | 0279535 | 200 | 200 | 0 |
| 13 | धर्मेन्द्र कुमार सुपुत्र सुभाष चंद | 19/2/2025 | 2/3/2025 | 0279536 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | **कुल** | **3600** | **2000** | **1600** |

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सोकनीदा कोट

44

47

परिशिष्ट–6 पैरा संख्या "9.1 व 9.2"

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

| अनुदान | वो.स. /दिनांक | समाग्री का विवरण | विल.स. /दिनांक | आपूर्तिकर्ता | मात्रा | रेट | राशि ₹ | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SF | 82/28.10. 2024 | Various Paints Items (INC. GST 18%) | 912,913/1 3,14.11.20 24 | M/s Hitesh Enterprises Khamiyara Chakban | – | – | 12253 | Quatations |
| 2.SF | 88/38.10. 2024 | Electricity Material (INC. GST 18%) | 1012/04.1 0.2024 | M/s Raju Electrical Sidhbari D/shala | – | – | 8150 | Quatations ,Stock Entry |
| 3.NREGA | NIL/05.10. 2024 | TMT STEEL (10MM,12,16,8MM)& WIRE (INC. GST 18%) | 192/25 .07.2024 | M/s Indrunag Steels &Building Material Mohli Khaniyara | – | – | 24471.00 | Quatations |
| | | | | | | **G/Total** | **44874.00** | |

नोटः–1.कम संख्या 1 ,2 व 3 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

2.कम संख्या 2 की स्टॉक प्रविष्टियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया।

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सौकनीदा कोट
वि०ख० कांगड़ा कांगड़ा हि०प्र०

45

परिशिष्ट–7 पैरा संख्या–"9.2"

| कार्यालय ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176218 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | अनुदान | वावर सं0 /दिनांक | फर्म का नाम | बिल सं0 /दिनांक | सामग्री | मात्रा/ प्रति घन फुट | दर | राशि |
| 1 | SDRF | 101/28.10.2024 | Kuldeep Singh Private & Govt.Contractor Khaniyara | 701/01.07.2023 | Sand Carasher | 76 | 50.00 | 3800.00 |
| | | | | | Aggregate | 200 | 49.00 | 9800.00 |
| | | | | | Boulder | 460 | 25.00 | 11500.00 |
| | | | | | | | कुल योग | 25100.00 |

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट

46

परिशिष्ट -08 (पैरा संख्या "6.4")

कार्यालय ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176218

जी.एस.टी/टीoडीoएसo/की कटौती न करने से सरकारी कोष को सम्भावित राजस्व हानि

| क.स.व अनुदान | वाचर स. /दिनांक | फर्म का नाम | बिल स. /दिनांक | समग्री | मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15TH FC (Dev. Park in villages Ward 5) | 108/ 14.10.2024 | M/s Shiva Traders Tatwani Shahpur | 663/ 25.10.2024 | Marry go round,Air walker,Double Cross Trainer,Arm wheel double,Chest Press double,Puss up bar,Leg press double | - | - | 200000 |
| | Nil/29.10.2024 | M/s Shiva Traders Tatwani Shahpur | 664/ 25.10.2024 | JCB per hour<br>Foundation with plat form CC work(m3) | 20<br>34.80 | 1000<br>2300 | 20000<br>80040 |
| 2.15TH FC (Dev./Repair Park in Soukni da Ward 7) | 105/ 28.10.2024 | M/s Shiva Traders Tatwani Shahpur | 662/12.10.2024 | Marry go round,Sea saw four seater,Double Cross Trainer,Arm wheel double,Chest Press double,Slider Iron 12 feet,Bridge Ladder | - | - | 200000 |
| | | | | **Total** | | | **500040** |
| 3.15TH FC | 106/ 28.10.2024 | M/s Himachal Traders Dodhamb Shahpur | 1390/14.10.2024 | Water Dispenser Hot&cold with Cabin, Water Dispenser bottel | 06 | 15000 | 90000 |
| 4.15TH FC | 106/ 28.10.2024 | M/s Himachal Traders Dodhamb Shahpur | 1391/14.10.2024 | Water Dispenser Hot&cold with Cabin, Water Dispenser bottle with carriage | 05 | 15000 | 75000 |
| 5.15TH FC | 107/ 28.10.2024 | M/s Himachal Traders Dodhamb Shahpur | 1386/20.10.2024 | Water cooler USHA 20X40 Ltr,Stucture with paint, water Tanki plastic 300ltr ,Plumbing,Electricity fitting etc. | 02 | 54350 | 108700 |
| 6.15TH FC | 107/ 28.10.2024 | M/s Himachal Traders Dodhamb Shahpur | 1388/20.10.2024 | Water cooler USHA 20X40 Ltr,Stucture with paint, water Tanki plastic 300ltr ,Plumbing,Electricity fitting with carriage etc. | 02 | 54350 | 108700 |
| 7.15TH FC | 107/ 28.10.2024 | M/s Himachal Traders Dodhamb Shahpur | 1389/20.10.2024 | Water cooler USHA 40X80 Ltr,Stucture with paint, water Tanki plastic 300ltr ,Plumbing,Electricity fitting with carriage etc. | 01 | 57600 | 57600 |
| | | | | | | **Total** | **440000** |
| | | | | | | **Grand Total** | **9400040** |

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत सोकनीदा कोट

47

परिशिष्ट -09 (पैरा संख्या "7·3")

**कार्यालय ग्राम पंचायत सोकनी दा कोट विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र -176218**

ग्राम पंचायत सोकनी दा कोट में दिनांक 31/3/2025 को स्वच्छता कर वसूली हेतु शेष :-

| वितीय वर्ष | यूनिट | यूनिट की संख्या | अथशेष | दर \ प्रतिमाह | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतू शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | घर | 364 | 0 | 50 | 218400 | 218400 | 161130 | 57270 |
| | दुकाने | 1 | 0 | 100 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 |
| | होटल | 0 | 0 | 1000/500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हट्(HUT) | 1 | 0 | 500 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| | | | | कुल | 225600 | 225600 | 161130 | 64470 |

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सोकनीदा कोट
वि०ख० [illegible] कांगड़ा हि०प्र०